ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: जीवन भारती बिल्डिंग, टावर-।।, 124-इंदिरा चौक, नई दिल्ली-110001
सीआईएन: एल74899डीएल 1993जीओआई054155 वेबसाइट: www.ongc.com ई-मेल: secretariat@ongc.co.in टेलीफोन संख्य: 011-23301297, फैक्स: 011-23316413

निदेशकों के प्रशिक्षण की नीति

1.0 प्रस्तावना

आयॅयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ओएनजीसी) के संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 104 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, सरकारी नामिती और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) सहित समय-समय पर कंपनी के सभी निदेशक नियुक्त करने की शक्तियां प्राप्त हैं। तद्नुसार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ओएनजीसी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त करता रहा है।

2.0 नियुक्ति का तरीका

2.1 **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशक :** कंपनी द्वारा रिक्ति अधिसूचित करने के पश्चात लोक उद्यम चयन बोर्ड, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से जॉब विवरण और शैक्षिक योग्यता के मापदंड के अनुरूप उपयुक्त अभ्यर्थियों से आवेदनपत्र आमंत्रित करता है और साक्षात्कार के पश्चात, चयनित अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों)का/के नाम, मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति (एसीसी) के माध्यम से अनुमोदन हेतु भेजा जाता है/भेजे जाते हैं और तद्नुसार, पदधारी को नियुक्त किया जाता है और वह भारत सरकार द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात कार्यभार संभालता है। इसके पश्चात, कंपनी अधिनियम, 1956के अनुसार उनकी भर्ती की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं।

2.2 **सरकारी नामित :** पदनामित अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अपर सचिव/ विशेष सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को आमतौर

पर भारत सरकार द्वारा, ओएनजीसी के बोर्ड में भारत सरकार के नामिती निदेशकों के रूप में नामित किया जाता है। इसके पश्चात, कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसारइनकी भर्ती की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं।

2.3 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) : भारत सरकार द्वारा गठित सर्च समिति, एसीसी की प्रतिष्ठित व्यवसायविदों के नामों की सिफारिश करती है और उसके अनुमोदन के पश्चात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ओएनजीसी को आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके पश्चात, कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसारइनकी भर्ती की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं।

3.0 ओएनजीसी के बोर्ड का संघटन:

ओएनजीसी के निदेशक मंडल में, कार्यकारी (कार्यात्मक) और गैर-कार्यकारी निदेशकों का एक पर्याप्त संयोजन है। कंपनी में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 7 (सात) कार्यात्मक निदेशक, 2 (दो) भारत सरकार के नामिती और 9 (नौ) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। प्रत्येक श्रेणी में पदधारियों की संख्या, किसी निश्चित समय पर रिक्ति के अनुसार भिन्न हो सकती है। वैश्विक अनुभव और व्यवसाय कार्य नीतियां साझा करने के लिए, प्रबंध निदेशक, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), बोर्ड की बैठकों में एक स्थायी आमंत्रिती है।

4.0 बोर्ड के सदस्यों की पृष्ठभूमि:

भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कार्यात्मक निदेशक, आमतौर पर ओएनजीसी के वरिष्ठ स्तरीय कार्यकारी हैं, जिनके पास उनके केवल प्रमुख क्षेत्र में ही व्यावसायिक, शैक्षिक योग्यता नहीं है बल्कि कंपनी के व्यवसाय मॉडल में व्यापक अनुभव भी है। भारत सरकार के नामिती, व्यावसायिक रूप से योग्यताप्राप्त वरिष्ठ नौकरशाह हैं, जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों में विशाल अनुभव

है। अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनके पास व्यवसाय, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य और प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

5.0 निदेशकों का प्रशिक्षण:

5.1 भारत सरकार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगम अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 में निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं:

खंड 3.7 - निदेशकों का प्रशिक्षण

संबंधित कंपनी, कंपनी के जोखिम प्रोफाइल, संबंधित निदेशकों की जिम्मेदारी और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के तरीके सहित कंपनी के व्यवसाय मॉडल में, बोर्ड के अपने नए सदस्यों (कार्यात्मक, सरकारी नामिती और स्वतंत्र निदेशकों) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करेगी। उन्हें नैगम अभिशासन और संबंधित निदेशकों पर लागू मॉडल व्यवसाय नैतिकता एवं आचार संहिता के संबंध में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

5.2 इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुबंध 1घ के अनुसार गैर-अनिवार्य शर्तों के अनुरूप निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं:

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

बोर्ड कंपनी, अपने बोर्ड के सदस्यों को, कंपनी के व्यवसाय मॉडल और कंपनी के व्यवसाय पैरामीटरों के जोखिम प्रोफाइल, निदेशकों के रूप में उनकी जिम्मेदारियों और उनका निर्वहन करने के सर्वोत्तम तरीकों में प्रशिक्षित कर सकती है।

6.0 निदेशकों की प्रशिक्षणनीति

ओएनजीसी, निदेशकोंके लिए एक त्रिस्तरीय प्रशिक्षण नीति रखेगा।

6.1 भर्ती प्रशिक्षण - ओएनजीसी

6.1.1 निदेशकों को, ओएनजीसी के नियमों और विनियमों से परिचित कराने का दृष्टि से, उनकी भर्ती पर निदेशकों को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं:

(i) कंपनी का संगम ज्ञापन एवं अनुच्छेद ।

(ii) कंपनी की अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट।

(iii) ओएनजीसी के शेयरों से संबंधित कार्य करने में अंदरुनी व्यक्तियों द्वारा व्यापार के निषेध के लिए आंतरिक प्रक्रिया एवं आचार संहिता।

(iv) बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन पदाधिकारियों के लिए आचार संहिता।

(v) कोई अन्य संबंधित दस्तावेज़।

6.1.2 भारत सरकार द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों और सरकारी नामितियों की भर्ती पर उन्हें, तुरंत ओएनजीसी के व्यवसाय मॉड्यूल, जोखिम प्रोफाइल, कार्य-निष्पादन, योजनाओं आदि पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। यह, पहली बार ओएनजीसी के बोर्ड में नियुक्त किए निदेशकों के लिए एक भर्ती प्रशिक्षण होगा।

6.1.3 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों और सरकारी नामितियों की सुविधा पर, अपतट क्षेत्रों में ओएनजीसी के कार्यचालन सेउन्हें परिचित कराने के लिए ओएनजीसी को अपतट स्थापना के दौरे की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार, ओएनजीसी की उत्पादन सुविधाओं से उन्हें परिचित कराने के लिए अभितट कार्यचालन स्थल और/ या हजीरा और/ या उरण संयंत्र आदि के दौरे की व्यवस्था भी की जाएगी।

6.2 बाह्य प्रशिक्षण:

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों, सरकारी नामितियों और कार्यात्मक निदेशकों की सुविधा पर, उन्हें सुसंगत क्षेत्रों में ऐसे प्रशिक्षण, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कन्वेंशनों आदि के लिए नामित किया जाएगा, जो नैगम अभिशासन, मॉडल व्यवसाय नैतिकता एवं आचार संहिता, निदेशकों के रूप में उनकी जिम्मेदारियों

तथा उनका निर्वहन करने के सर्वोत्तम तरीकों पर उनकी जानकारी में वृद्धि करेगा।

6.3 बोर्ड प्रस्तुतीकरण:

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि निदेशकों को, उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रस्तावों की बेहतर समझबूझ हो, बोर्ड के सदस्यों के बीच अग्रिम रूप से व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ विस्तृत कार्यसूची मदें परिचालित की जाएंगी। इसके अलावा, कार्यसूची मदों की सॉफ्ट प्रतियां, निदेशकों की नामोद्दिष्ट ई-मेल आईडी पर भेजी जाएंगी। जहां कहीं संभव हो, चर्चा/विचार करने के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत कार्य-सूची के संबंध में एक संसूचित निर्णय पर पहुंचने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए निदेशक मंडल/निदेशकों की समिति के समक्ष, कार्य-सूची मदों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा।

......